सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2019 (निगरानी पंचायत)
RCMS No: 2019/00001

अनवान

1. श्री आशीष दोवडिया पुत्र श्री लक्ष्मीलाल दोवडिया, निवासी होली चोक, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर

– प्रार्थी / निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री हंसमुखलाल दोवडिया पिता श्री छबीलाल जी दोवडिया, निवासी होली चोक, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. ग्राम पंचायत ऋषभदेव जरिये सरपंच ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण / रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री आशीष दोवडिया, स्वयं।
2. श्री कैलाश नागदा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1996
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव, पंचायत समिति ऋषभदेव, दिनांक 10.07.2017

* निर्णय *

दिनांक– 22-05-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी के पिता एवं अन्य भाईयों की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति जो होली चोक ऋषभदेव में स्थित है जिस पर परिवार के अन्य सदस्यों का भी अधिकार प्राप्त है। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त पैतृक सम्पत्ति को अपना बताते हुये बापी पट्टा दिनांक 10.07.2017 को बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाए प्राप्त कर लिया, जिसमें कई वास्तविक जानकारी को छिपाकर पंचायत के समक्ष झूठे तथ्य पेश किये है। विपक्षी संख्या 1 के पट्टे बाबत् ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा आपत्ति मांगी गयी, जिसमें मायादेवी, अभिषेक दोवडिया गजेन्द्र सुरावत, दिनेश सुरावत द्वारा लिखित आपत्ति पेश की गयी, परन्तु आपत्ति को सुने बिना ही विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया गया। उक्त पट्टे में आवेदक द्वारा जो पडोस बताये गये है उसका मौके अनुसार पडोस अलग है। बापी पट्टा जारी करने से पूर्व परिवार के अन्य सदस्यों से अनापत्ति प्राप्त नही की गयी है एवं विधिक बटवाडा न होने के वाबजूद भी उक्त पट्टा जारी किया गया है। बापी पट्टे की मिसल में दिया गया शपथ पत्र भी गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। इसी पत्रावली में बनायी गयी मौका पर्चा रिपोर्ट में विपक्षी संख्या 1 के परिवार के

सदस्यों के ही नाम है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी उम्र 55 वर्ष होना बताई गयी है, जबकि मकान पर उसका कब्जा 50 वर्ष पुराना बताया गया है, जो संदेहास्पद है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा गलत तरीके से प्राप्त किये गये पट्टे के आधार पर स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त कर पैतृक सम्पत्ति को ध्वस्त कर नये मकान का निर्माण किया जा रहा है। अतः विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री कैलाश नागदा, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र पेश किया गया। मामले में विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत से पट्टे से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब की गयी। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा मामले में प्रारम्भिक आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3–ए सीपीसी प्रस्तुत किया गया एवं उभय पक्षकारान द्वारा मामले में प्रार्थना पत्र 41 नियम 3–ए, प्रारम्भिक आपत्ति, धारा 5 प्रार्थना पत्र एवं निगरानी प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु अनुरोध करने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

मामले में सर्वप्रथम विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 41 नियम 3–ए सीपीसी पर उभय पक्ष को सुना गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस प्रारम्भ करते हुये अनुरोध किया कि उक्त निगरानी को सुनने से पूर्व धारा 5 मयाद अधिनियम पर सुना जाना आवश्यक है एवं धारा 5 के प्रार्थना पत्र को तय किये बिना मूल निगरानी को नही सुना जा सकता। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा आरआरटी 2017(2)787 आरआरटी 2017(2)1329 की प्रति अपने समर्थन में प्रस्तुत की एवं निगरानीकर्ता द्वारा मामले में कोई आपत्ति व्यक्त न करने से धारा 5 प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। बहस प्रारम्भ करते हुये निगरानीकर्ता द्वारा निवेदन किया गया कि निगरानीकर्ता को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गये बापी पट्टे की जानकारी दिनांक 04.01.2019 को हुयी एवं दिनांक 14.01.2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही उसके द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः निगरानी याचिका प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाकर निगरानी याचिका स्वीकार की जावे। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुये अनुरोध किया कि निगरानीकर्ता विपक्षी संख्या 1 का भतीजा है एवं विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे की पूर्णतया जानकारी निगरानीकर्ता को पूर्व से है एवं जानबूझकर निगरानीकर्ता द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में धारा 5 प्रार्थना पत्र पर विचार नही किया जाये एवं निगरानीकर्ता द्वारा प्रसतुत निगरानी मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। हमने उभय पक्ष द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम पर की गयी बहस का रेकर्ड के मुकाबले अध्ययन किया। उभय पक्ष को सुनने एवं रेकर्ड के अवलोकन उपरान्त न्यायहित में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब अवधि कन्डोन किया जाना उचित समझते है। अतः मामले में निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर धारा 5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब की अवधि कन्डोन की जाती है।

मयाद प्रार्थना पत्र के उपरान्त मामले में विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता का कथन है कि निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गये बापी पट्टे दिनांक 10.07.2017 को निरस्त किये जाने के लिये यह निगरानी पेश की है, किन्तु पंचायत नियमों के अनुसार नियम 157(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा जारी आदेश की अपील पंचायत समिति को ही की जा सकती है एवं जहां अपील के प्रावधान दिये गये है वहां निगरानी लाई नही होती है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता के पिता जीवित है एवं उन्हे ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिये। निगरानी का सीमित दायरा होता है एवं यदि निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत के आदेश से व्यथित है तो उसे पंचायत समिति ऋषभदेव में नियमानुसार उक्त आदेश की अपील नियमानुसार पंचायत समिति में करनी चाहिये। अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने से निरस्त की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 4/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.08.2018 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की गयी निगरानी प्रकरण संख्या 6950/2018 में दिनांक 28.09.2018 को दिये गये निर्णय की प्रति अपने समर्थन में प्रस्तुत की। निगरानीकर्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुये उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि पंचायती राज अधिनियम में नियमानुसार धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी पेश करने के विधिवत प्रावधान दिये गये है जिसके तहत ग्राम पंचायत के आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय में निगरानी पेश की जा सकती है।

हमने प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा निगरानी का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को न होने के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत पेश किये है, जिसमें उनके द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 4/2016 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की गयी अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2018 में अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर का आदेश निरस्त किया जाना तथा इस न्यायालय को निगरानी श्रवणाधिकार न होना अवगत कराया है, किन्तु उक्त पत्रावली संख्या 4/2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध की गयी अपील में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 8437/2018 में दिनांक 12.02.2018 को उक्त निर्णय की पालना को स्थगित रखा है। ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण संख्या 6950/2018 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2018 को दृष्टांत के रूप में उपयोग में नही लिया जा सकता है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाकर मामले में मूल निगरानी प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस प्रारम्भ करते हुये निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गया बापी पट्टा की भूमि पुस्तेनी होने, अविभाजित होने, आपत्तियों को न सुने जाने, गलत तथ्यों को शपथ पत्र में पेश करने, पडोस भिन्न होने, रजिस्टर्ड वसियत होने से पट्टा गलत जारी होना आदि तथ्यों के आधार पर कथित पट्टे को निरस्त करने की मांग की। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुये ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया जाना, आपत्तियों को सुना जाना, कोरम में प्रस्ताव लिया जाना, विधिवत समस्त प्रक्रिया सम्पादित करना आदि आधारों पर कथित पट्टा नियमानुसार जारी होने से यथावत रखे जाने बाबत् अनुरोध किया।

हमने उभय पक्ष के विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध निगरानी प्रार्थना पत्र, अधिनस्त न्यायालय ग्राम पंचायत ऋषभदेव की पत्रावली संख्या 27/2017 का अवलोकन किया एवं उसमें वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 श्री हंसमुखलाल द्वारा ग्राम पंचायत में पैतृक मकान के पट्टे नियम 157 (1) के अन्तर्गत जारी किये जाने हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति आह्वान कर आपत्ति आह्वान पत्र जारी किया जाना, आपत्तियों का निस्तारण किया जाना, नोटिस का सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया जाना, स्थल निरीक्षण किया जाना, मौके पर कोई विवाद न होना और न ही कोई प्रकरण विचाराधीन होना, वार्ड पंचों की राय आदि के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जाना पाया गया है। ग्राम पंचायत की पत्रावली में टेलीफोन बिल, पानी का बिल एवं विद्युत बिल की प्रति, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि दस्तावेजों की प्रति मौजूद है। इस प्रकार उक्त पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की अनियमितता हुई हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नही है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टे को निरस्त किया जाना हम उचित नही समझते है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाना है तथा ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा मिसल नम्बर 27/2017 से विपक्षी संख्या 1 श्री हसमुखलाल पुत्र श्री छबीलाल दोवडियां के पक्ष में नियम 157 (1) के अन्तर्गत जारी किया गया आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 18074 दिनांक 10.07.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज 22.05.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर